केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

फा.सं. 1-1/2019/केविसं(मु०)/स्था-II

दिनांक :- 17 अक्तूबर,2019

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : - नए नियुक्त (मार्च और अगस्त, 2019 में नियुक्त) शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की तैनाती के स्थान में स्पाउस अथवा दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति स्थान में संशोधन के संबंध में

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि केविसं द्वारा सीधी भर्ती पर मार्च और अगस्त, 2019 में 9094 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इन सभी कर्मचारियों को केंद्रीय रूप से भर्ती करके उन्हें उनकी वरीयता एवं विकल्प तथा श्रेणीवार सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक ज़ोन हेतु चिह्नित रिक्त पदों के आधार पर तैनात किया गया है। केविसं(मुख्यालय) को कुछ कर्मचारियों से सरकारी सेवा में कार्यरत अपने पति-पत्नी(स्पाउस) के आधार पर अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांगता के आधार पर अपनी वर्तमान पोस्टिंग के स्थान में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

केविसं के स्थानांतरण दिशानिर्देशों के अनुसार किसी कर्मचारी को आबंटित ज़ोन से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 3 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद केवल आवंटित ज़ोन में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। केविसं के अधिशासी मंडल ने 06 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी 109वीं बैठक में केविसं के उन कर्मचारियों के संबंध में एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में स्थानांतरण की शर्त में रियायत प्रदान कर दी है, जिनके पति/पत्नी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अधिशासी मंडल ने ऐसे कर्मचारी को उस स्थान पर स्थानांतरण मांगने/पूर्व तैनाती के स्थान में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है, जहां उनके पति या पत्नी काम कर रहे/रही हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऐसे अनुरोध पर यथासंभव विचार किया जाता है बशर्ते कि अन्य प्रशासनिक कठिनाइयां न हों।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केविसं द्वारा वर्ष 2017 से ज़ोनल नियुक्ति नीति अपनाई जा चुकी है। वर्ष 2017-18 में भर्ती किए गए कई कर्मचारियों को उनके पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर संशोधन के लिए विचार किया गया। शारीरिक रूप से अक्षम अर्थात दिव्यांग कर्मचारियों को भी उनके मूल राज्यों में या उनके निकटवर्ती स्थानों पर तैनाती हेतु विचार किया जाता है। केविसं द्वारा कर्मचारियों के विधि सम्मत अनुरोध पर विचार करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को इस तथ्य के बारे में भी पता होना चाहिए कि उनकी पसंद के स्थान पर पोस्टिंग / स्थानांतरण हेतु उनके द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

जारी 2 ......

इसके अलावा केविसं ने मार्च और अगस्त 2019 में जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव के संबंध में कर्मचारियों की ज्वाइनिंग और नॉन-ज्वाइनिंग स्टेटस का विश्लेषण किया है और यह पाया कि अधिकांश कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा कुछ को यथार्थ प्रमाणिक आधार पर कार्यभार ग्रहण करने के समय में विस्तार दिया गया है। कुछ उम्मीदवारों ने निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति के लिए दिए गए उनके प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने केविसं की सेवा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उनके एवज में चयनित पैनल को ऑपरेट करने के बारे में केविसं विचार कर सकता है। इस प्रकार नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने में कुछ और समय लग सकता है। अत: कार्मिकों के पति/पत्नी की तैनाती अथवा दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण में संशोधन संबंधी विषय पर प्रशासनिक कारणों से एक साथ विचार करना संभव नहीं है।

ऐसे सभी कर्मचारी जो अपने पति/पत्नी की सेवा के आधार पर या दिव्यांगता के आधार पर अपनी तैनाती में संशोधन करवाने के इच्छुक हैं, वे अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से आवेदन करें। ऐसे कर्मचारी अपने अनुरोध 31 जनवरी 2020 तक अपने केंद्रीय विद्यालय/कार्यालय में ज़मा करें। केविसं द्वारा उनकी इच्छा के स्थान पर रिक्त स्थान की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक तत्वों को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा तथा शिक्षा-सत्र 2019-20 के अंत तक संशोधन आदेश जारी किए जाएंगे। केविसं(मुख्या.) में सीधे प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी कर्मचारी इस कार्य हेतु केविसं(मुख्या.) से सीधे संपर्क न करें। केविसं द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करने में समयबद्ध रूप से कदम उठाए जायेंगे। जिन कर्मचारियों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और अपनी तैनाती के स्थान में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपनी ड्यूटी पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करें। तैनाती के स्थान में संशोधन के संबंध में आवेदन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा इस पत्र के साथ संलग्नक I और II के रूप में प्रेषित हैं। इस प्रकार कर्मचारियों से प्राप्त ऐसे सभी अभ्यावेदन क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समेकित किए जाने चाहिए और उन्हें दिनांक 10 फरवरी, 2020 तक अधोहस्ताक्षरी के पास भिजवा दिया जाए।

अतः अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी प्राचार्यों को निदेशित करें कि वे इस पत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पत्र में दिए गए निर्देशों की जानकारी प्रत्येक नए भर्ती कर्मचारियों को दें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

17/01/19

(विमलेश कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त (स्था II एवं III)

संलग्नक :- यथोपरि।

संलग्नक-I

वर्ष 2019 में शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर नियुक्त नए कर्मचारियों की तैनाती के स्थान में संशोधन हेतु आवेदन (पति पत्नी के सरकारी सेवा में सेवारत होने अर्थात स्पाउस के आधार पर)

सेवा में

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
....

विषय :- वर्ष 2019 में सीधी भर्ती के आधार पर नए भर्ती किए गए शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की तैनाती के स्थान में उनके पति/पत्नी के सेवा में रहने(स्पाउस) के आधार पर संशोधन हेतु स्टेशन के विकल्प को प्रस्तुत करने के संबंध में

महोदय/ महोदया

केविसं(मुख्या.) के दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के पत्र संख्या एफ.1-1/2019/केविसं(मुख्या.)/स्था-II के संदर्भ में, मैं अपनी तैनाती के स्थान में संशोधन हेतु अपनी इच्छा के स्टेशन प्रस्तुत करता / करती हूँ ताकि मैं अपने पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर या उनकी तैनाती के स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर कार्यभार ग्रहण कर सकूं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) पति/पत्नी का नाम :-
(ख) पद और विभाग :-
(ग) तैनाती का स्थान :-
(घ) संशोधन हेतु इच्छिल स्टेशनों का विवरण :-

1	2 ....
3	4 ....
5	6 ....
7	8 ....
9	10 ....

मेरे पति/पत्नी के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया उनकी सेवा और तैनाती संबंधी प्रमाण पत्र आपके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्वारा संलग्न है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
कर्मचारी का नाम :
पदनाम :
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख :
कार्यालय/केंद्रीय विद्यालय का नाम :

प्राचार्य/उपायुक्त/जीट के निदेशक की संस्तुति

नाम :
हस्ताक्षर :
पदनाम :

दिनांक :

संलग्नक-II

वर्ष 2019 में शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर नियुक्त नए कर्मचारियों की तैनाती के स्थान में संशोधन हेतु आवेदन (दिव्यांगता के आधार पर)

सेवा में

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
....

विषय :- वर्ष 2019 में सीधी भर्ती के आधार पर नए भर्ती किए गए शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की तैनाती के स्थान में उनकी दिव्यांगता के आधार पर संशोधन हेतु स्टेशन के विकल्प को प्रस्तुत करने के संबंध में

महोदय/ महोदया

केविसं(मुख्या.) के दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के पत्र संख्या एफ.1-1/2019/केविसं(मुख्या.)/स्था-II के संदर्भ में दिव्यांग श्रेणी के आधार पर मैं अपनी तैनाती के स्थान में संशोधन हेतु अपनी इच्छा के स्टेशन प्रस्तुत करता / करती हूँ :

संशोधन हेतु इच्छित स्टेशनों का विवरण :-

1	2 ....
3	4 ....
5	6 ....
7	8 ....
9	10 ....

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों को जारी प्रमाण पत्र की **नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित** प्रति आपके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्वारा संलग्न है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
कर्मचारी का नाम :
पदनाम :
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख :
कार्यालय/केंद्रीय विद्यालय का नाम :

प्राचार्य/उपायुक्त/जीट के निदेशक की संस्तुति

नाम :
हस्ताक्षर :
पदनाम :

दिनांक :